दिल्ली उच्च न्यायालय: नई दिल्ली

निर्णय तिथि: 19 दिसम्बर, 2023

सि.पु.या. 203/2023 और सि.वि.आ. 39375/2023

हिमांशु खन्ना और अन्य| ..... याचीगण

द्वारा: श्री नमन गुप्ता, अधिवक्ता

बनाम

राजीव खन्ना और अन्य। ..... प्रत्यर्थीगण

द्वारा: उपस्थिति नहीं दी गई|

कोरमः

माननीय न्यायाधीश श्री चंद्र धारी सिंह

आदेश

न्या. चंद्र धारी सिंह, (मौखिक)

1. सिविल प्रक्रिया संहिता,1908 (इसके बाद "सि.प्र.स.") की धारा115 के अधीन याचीगण की ओर से निम्नलिखित राहतों की मांग करते हुए तत्काल याचिका दायर की गई हैः

"क. श्री दिनेश कुमार, विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश -02, दक्षिण, साकेत कोर्ट, नई दिल्ली के माननीय न्यायालय से वाद .सी. सं. 15/2017 शीर्षक "राजीव खन्ना और अन्य बनाम राज्य और अन्य" के सम्बंध में अभिलेखों को मंगाया है।

ख. वाद पी.सी. स. 15/2017 शीर्षक "राजीव खन्ना और अन्य बनाम राज्य और अन्य" में आक्षेपित आदेश दिनाँक 13.09.2018 और 27.04.2023 को अपास्त करे और इस प्रकार प्रत्यर्थी सं. 2 अर्थात् स्वर्गीय श्री संजीव खन्ना को कानूनी उत्तराधिकारी / कानूनी प्रतिनिधि को प्रतिवादी के रूप में पक्षकार बनाया जाए और उक्त मामले में अपने बचाव का नेतृत्व करने की अनुमति दी जाए;

ग. कोई अन्य या दूसरा आदेश को पारित करें जिसे यह माननीय न्यायालय न्याय के हित में पुनरीक्षणकर्ता के हित में तथा प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध अनुरूप और उचित समझे।"

2. प्रत्यर्थीगण ने श्रीमती स्वदेश खन्ना जो की धरमपत्नी हैं श्री हंसराज खन्ना की वसीयत की जांच के लिए भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 278 के अधीन विद्वान जिला और सत्र न्यायाधीश, दक्षिण, साकेत न्यायालय, नई दिल्ली के समक्ष वाद दायर किया जो संजीव खन्ना (मृत होने के बाद से) के खिलाफ जिन्हें उक्त वाद में प्रतिवादी सं. 2 के रूप में निवेदन किया है वाद को पी.सी.सं.15/2017 के अधीन पंजीकृत किया गया था। और यह न्यायनिर्णयन के लिए लंबित है।

3. स्वर्गीय श्री संजीव खन्ना दिनाँक 13 सितंबर, 2018 के आदेश के अनुसार उपरोक्त प्रोबेट मामले में एक पक्षीय के रूप आगे आए। याचीगण, श्री हिमांशु खन्ना और सुश्री मीनाक्षी खन्ना, स्वर्गीय श्री संजीव खन्ना जिनका निधन दिनाँक 23 अक्टूबर, 2020 को हो गया के कानूनी उत्तराधिकार बने।

4. स्वर्गीय श्री संजीव खन्ना के निधन के बाद, याचीगण ने सि.प्र.स. के आदेश 12 नियम 1 और 4 के अधीन वर्तमान याचीगण को कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में पक्षकार करने के लिए आवेदन दायर किया। उन्होंने विद्वान विचारण न्यायलय द्वारा पारित दिनाँक 13 सितंबर, 2018 के एकपक्षीय आदेश के खिलाफ सि.प्र.स.के आदेश 9नियम 7 के अधीन एक आवेदन भी दायर किया था। सि.प्र.स.के आदेश 12 नियम 1 और 4 के अधीन आवेदन को सि.प्र.स.के आदेश 9 नियम 7 के अधीन आवेदन की सुनवाई के उद्देश्य से दिनाँक 21 फरवरी, 2023 के आदेश के माध्यम से अनुमति दी गई थी।

5. इसके बाद, सि.प्र.स. के आदेश 9नियम 7 के अधीन आवेदन को विद्वान न्यायालय द्वारा दिनाँक 27 अप्रैल, 2023 के आदेश के अधीन खारिज कर दिया गया था। दिनाँक 27 अप्रैल 2023 और 13 सितंबर, 2018 के उक्त आक्षेपित आदेशों से व्यथित होकर याचीगण ने इस न्यायालय के पुनरीक्षण अधिकारिता अधीन तत्काल याचिका दायर की है।

6. याचीगण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि दिनाँक 13 सितंबर, 2018 और 27 अप्रैल, 2023 के विवादित आदेश अवैधता और अधिकारिता की त्रुटि से ग्रस्त हैं क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय यह समझने में विफल रहा है कि याचीगण ने न्यायालय द्वारा पारित एकपक्षीय आदेशों को अभिखंडित करने के लिए "पर्याप्त कारण" स्थापित किया है।

7. यह प्रस्तुत किया जाता है कि दिनाँक 13 सितंबर, 2018 और 27 अप्रैल, 2023 के आदेशों को पारित करते समय, अधीनस्थ न्यायालय दिए गए इस तथ्य पर विचार करने में विफल रही कि स्वर्गीय श्री संजीव खन्ना को उनके अपने जीवनकाल के दौरान किसी भी प्रकार का नोटिस देना या सम्मन जारी नहीं किया गया था। विद्वान् विचारण न्यायालय ने इस उपधारणा पर एकपक्षीय कार्यवाही की सेवा ने उसे प्रभावित किया था।

8. यह तर्क दिया जाता है कि याचीगण ने वाद के लंबित होने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के तुरंत बाद अधीनस्थ विद्वान न्यायालय में अपील की थी। यह आगे तर्क दिया जाता है कि विद्वान् विचारण न्यायालय इस बात पर विचार करने में विफल रहा कि याचीगण के अधिकार प्रत्यर्थी द्वारा स्वयं के वाद में मांगी गई राहत से सीधे प्रभावित होते हैं और एकपक्षीय कार्यवाही न केवल याचीगण को अपूरणीय क्षति पहुंचाएगी, बल्कि इसके परिणामस्वरूप प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को भी उपेक्षित किया जाएगा।

9. यह प्रस्तुत किया जाता है कि विद्वान विचारण न्यायालय इस बात पर विचार करने में विफल रहा कि वाद प्रारंभिक चरण में है और प्रत्यर्थी ने नीचे दिए गए न्यायालय के समक्ष शपथपत्र या अपने गवाहों की सूची के माध्यम से अपना साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किया है और यदि याचीगण को अपने बचाव का नेतृत्व करने की अनुमति दी जाती है तो वादी के साथ कोई पूर्वाग्रह नहीं होगा।

10. यह प्रस्तुत किया जाता है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने विवादित आदेश पारित करने में गलती की क्योंकि वह पक्षों के बीच विवाद के पूरे तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने में विफल रहा।

11. इसलिए यह प्रस्तुत किया जाता है कि पूर्वगामी प्रस्तुतियों को ध्यान में रखते हुए तत्काल याचिका की अनुमति दी जा सकती है और आक्षेपित आदेशों को अपास्त किया जा सकता है।

12. समान्तर स्तभ में, प्रत्यर्थीगण की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि तत्काल पुनरीक्षण याचिका चलने योग्य नहीं है और इसे पूरी तरह से खारिज कर दिया जाना चाहिए क्योंकि पुनरीक्षण याचिका को गलत तरीके से प्रस्तुत की है और तथ्यों को छिपाकर दायर की गई है और इस तरह याचीगण किसी भी प्रकार की राहत प्राप्त करने के लिए के हकदार नहीं हैं।

13. यह प्रस्तुत किया जाता है कि स्वर्गीय श्री संजीव खन्ना ने वाद की सेवा प्रभावित होने के बावजूद अपनी मृत्यु तक दिनाँक 13 सितंबर, 2018 के एकपक्षीय आदेश को अपास्त करने के लिए कोई आवेदन दायर करना नही किया|

14. यह प्रस्तुत किया जाता है कि याचीगण ने केवल मृतक श्री संजीव खन्ना का स्थान लिया और उन्हें इस स्तर पर एक नया मामला स्थापित करने या लिखित कथन / आपत्तियां या वर्तमान मामले में किसी भी प्रकार की प्रतिरक्षा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

15. यह तर्क दिया जाता है कि विवादित आदेश निष्पक्ष, न्यायिक रूप से सही हैं और कोई दुर्बलता या अवैधता से ग्रस्त नहीं हैं। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेशों में अधिकारिता की कोई त्रुटि नहीं है और इसलिए, याचीगण द्वारा दी गई दलीलों में कोई योग्यता नहीं है जो इस न्यायालय के पुनरीक्षण अधिकारिता के अधीन हस्तक्षेप का समर्थन करती है।

16. पूर्वगामी प्रस्तुतियों को ध्यान में रखते हुए, यह प्रस्तुत किया जाता है कि तत्काल याचिका को खारिज किया जा सकता है।

17. पक्षों को सुना और अभिलेख पर सामग्री का अध्ययन किया।

18. तत्काल मामले के निष्कर्षों पर गौर करने से पूर्व, सि.प्र.स की धारा 115 के उदेश्य को समझना आवश्यक है। यह धारा उच्च न्यायालय को यह देखने की शक्तियां प्रदान करती है कि अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाहियां उनकी

अधिकारिता की सीमा के भीतर और न्याय को अग्रसर करने के लिए कानून के अनुसार संचालित की जाती हैं। पुनरीक्षण की शक्ति उच्च न्यायालय को, जब आवश्यक हो, अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा की गई अधिकारिता की त्रुटियों को सुधारने में सक्षम बनाती है और एक पीड़ित पक्ष को एक गैर-अपीलीय योग्य आदेश में सुधार प्राप्त करने के लिए साधन प्रदान करती है।

19. उच्च न्यायालय अपनी पुनरीक्षण अधिकारिता का प्रयोग करते हुए ऐसे किसी भी मामले का अभिलेख मांग सकता है जिसका निर्णय ऐसे उच्च न्यायालय के अधीनस्थ किसी भी न्यायालय द्वारा किया गया है जिसमें किसी कोई अपील नहीं है, ताकि वह तीन पहलुओं पर खुद को संतुष्ट कर सकेः(1) कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश उसकी अधिकारिता के भीतर है; (2) कि मामला वह है जिसमें न्यायालय को अधिकारिता का प्रयोग करना चाहिए; और (3) कि, अधिकारिता का प्रयोग करते हुए, न्यायालय ने अवैध रूप से कार्य नहीं किया है, यानी कानून के कुछ प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए, या ठोस अनियमितता के साथ, यानी विचारण के दौरान प्रक्रिया की कुछ त्रुटि करके जो इस अर्थ में ठोस है कि इसने अंतिम निर्णय को प्रभावित किया होगा।

20. यह कानून का स्थापित सिद्धांत है कि पुनरीक्षण अधिकारिता का प्रयोग न्यायालय के विवेक में है और कोई भी पक्ष इसे "अधिकार का विषय के रूप में" दावा नहीं कर सकता है। एक सामान्य नियम के रूप में, जहां अधीनस्थ

न्यायालय के आदेश द्वारा पर्याप्त न्याय किया गया है, उच्च न्यायालय इस तथ्य के बावजूद कि आदेशों के कारण गलत हैं या आदेश अनुचित है, पुनरीक्षण अधिकारिता में इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा।

21. उच्च न्यायालय धारा 115 के अधीन अपनी पुनरीक्षण शक्ति का प्रयोग करते हुए अधीनस्थ न्यायालय के तथ्य के निष्कर्षों पर आक्षेप नहीं कर सकता है या प्राथमिक न्यायालय के लिए तथ्य के साक्ष्य के अपने स्वयं के अनुप्रयोग को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता है। इस प्रकार, पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग आदेश के लिए, न्यायालय को यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसी बाध्यकारी परिस्थितियाँ हैं जैसे कि अधीनस्थ न्यायालय ने अवैध रूप से या ठोस अनियमितता के साथ कार्य किया है। हालाँकि, जहाँ न्यायालय के पास किसी प्रश्न का निर्णय करने का अधिकारिता है और वह इस प्रकार के प्रश्न पर न्यायनिर्णय देता है, वहाँ यह नहीं कहा जा सकता है कि उसने अवैध रूप से या ठोस अनियमितता के साथ काम किया है क्योंकि उसने प्रश्न का निर्णय अनुचित तरीके से किया है क्योंकि एक बार यह स्वीकार कर लिया जाता है कि न्यायालय के पास अधिकारिता है, उसके पास गलत या सही निर्णय लेने की शक्ति है और न्यायालय गलत निष्कर्ष पर आकर अधिकारिता नहीं खोता है, चाहे वह कानून में या तथ्यों में गलत हो।

22. अब तत्काल मामले का न्यायनिर्णय उसके गुण-दोष के आधार पर किया जा रहा है।

23. यह याचीगण का मामला है कि याचीगण स्वर्गीय श्री संजीव खन्ना के कानूनी उत्तराधिकारी हैं। संजीव खन्ना को प्रत्यर्थीगण द्वारा दायर प्रोबेट याचिका के सम्बंध में कभी जानकारी नहीं थी, जिसमें स्वर्गीय श्री. संजीव खन्ना एक पक्ष के रूप में थे। इसके अलावा, स्वर्गीय श्री संजीव खन्ना को प्रत्यर्थीगण द्वारा कभी भी सेवा नहीं दी गई थी और विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने गलत निर्णय दिया है कि प्रोबेट याचिका पर एकपक्षीय निर्णय लिया जाएगा।

24. विरोधी प्रस्तुतियों में, प्रत्यर्थीगण ने तर्क दिया है कि तत्काल याचिका कुछ और नहीं बल्कि केवल प्रोबेट याचिका के मुकदमे में विलम्ब करने का प्रयास है। आगे यह तर्क दिया जाता है कि स्वर्गीय श्री. संजीव खन्ना को विधिवत सेवा प्रदान की गई थी, सेवा के बाद भी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश नहीं होने के बाद ही अधीनस्थ न्यायालय ने उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्रवाई की और उनके द्वारा पारित आक्षेपित आदेशों में अधिकारिता की कोई त्रुटि नहीं है।

25. आक्षेपित आदेशों पर विचार करने से पहले, विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित दिनाँक 16 फरवरी, 2018 पर सम्बंधित आदेश की सामग्री पर विचार करना उचित है, विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने दर्ज किया है कि स्वर्गीय श्री संजीव खन्ना को उनके अहमदाबाद के पते पर भेजा गया है, हालाँकि सम्मन

एक कर्मचारी को प्राप्त हुआ था जहाँ स्वर्गीय श्री संजीव खन्ना कार्य कर रहे थे। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आगे यह विचार किया गया कि प्रत्यर्थीगण ने पक्षकार का एक नया ज्ञापन दायर किया था और स्वर्गीय श्री संजीव खन्ना को नया सम्मन नया स्थायी पता जारी किए गए थे। विद्वान विचारण न्यायालय के उपरोक्त आदेश का प्रासंगिक भाग नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

> *"याची के विद्वान् अधिवक्ता ने प्रत्यर्थी स. 2 का नया पता दर्ज किया है पक्षकारों के ज्ञापन में, प्रत्यर्थी संख्या 2 का 2 पता लिखे गए है। प्रत्यर्थी सं. 2 को सम्मन अहमदाबाद के पते पर भेजे गए थे। जो की कूरियर ब्लू डार्ट द्वारा भेजा गया था। दूसरे पते के लिए दस्ती सम्मन जारी किए गए थे।*
> *हालांकि, ट्रैक रिपोर्ट के अनुसार सम्मन प्रत्यर्थी सं. 2 द्वारा स्वयं प्राप्त किया था। विद्वान् अधिवक्ता प्रस्तुत करता है कि चूंकि सम्मन एक कर्मचारी द्वारा प्राप्त किया गया है जहां प्रत्यर्थी सं. 2 कार्य कर रहा है, उसने प्रत्यर्थी सं. 2 के नया स्थाई पते को ट्रैक किया और प्रत्यर्थी सं. 2 के नया पते पर फिर से सम्मन भेजा जाएगा जो आज दाखिल किया गया है। प्रत्यर्थी सं. 2 के आज दाखिल किए गए नए पते पर स्पीड पोस्ट द्वारा पीएफ भरने पर सम्मन जारी किया जाए।*

26. विचारण न्यायालय द्वारा दिनाँक 13 सितंबर, 2018 को पारित किए गए आपेक्षित आदेश के प्रासंगिक हिस्से को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

सेवा के बावजूद, प्रत्यर्थी सं. 2 की ओर से कोई उपस्थिति दर्ज नहीं पाई गई है। परिणामस्वरुप, प्रत्यर्थी सं. 2 के खिलाफ एक पक्षीय कार्रवाई की जाती है।

प्रत्यर्थी सं. 3 एस. हंस राज खन्ना अभियोजन साक्षी 1 के रूप में पेश हुए और शपथ पत्र के माध्यम से अपना साक्ष्य प्रस्तुत किया। याचिकाकर्ता के साक्ष्य के लिए पुनः से दिनाँक 23.01.2019 को पेश किया गया।"

27. उपरोक्त आदेश के परिशीलन पर, यह स्पष्ट है कि स्वर्गीय श्री संजीव खन्ना को विधिवत सेवा प्रदान की गई थी, जिसके बावजूद वे विद्वान अधीनस्थ न्यायालय में पेश नहीं हुए। तदनुसार, विद्वान विचारण न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि वह स्वर्गीय श्री संजीव खन्ना के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करेगा।

28. इस न्यायालय का विचार है कि इस तरह का आदेश पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई अवैधता या त्रुटि नहीं की गई है। उपरोक्त आक्षेपित आदेश कानून के अनुसार है, क्योंकि आदेश तामील होने के बावजूद जब पक्ष न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होता है, तो उक्त पक्ष अपने बचाव के अधिकार को खो देता है।

29. विद्वान विचारण न्यायालय ने दिनाँक 27 अप्रैल, 2023 के आदेश के माध्यम से याचीगण द्वारा दायर सि.प्र.स के आदेश 9के नियम 7 के अधीन आवेदन को

खारिज कर दिया। आक्षेपित आदेश से प्रासंगिक उद्धरण को निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया जा रहा हैः

"16. कानून की उपर्युक्त निर्धारित स्थिति को देखते हुए, यह देखा जाना चाहिए कि क्या आवेदकों ने दिनाँक 13.09.2018 पर अपनी गैर-उपस्थिति के लिए कोई उपयुक्त कारण दिखाया है।, प्रत्यर्थी सं. 2 जीवित था जब न्यायालय द्वारा याचिका का नोटिस जारी किया गया था और जब उसे एकपक्षीय *रूप से आगे बढ़ाया गया था, यह देखते हुए कि वह सेवा के बावजूद उपस्थित नहीं हुआ था। यहाँ आवेदन में इस बात का किसी प्रकार का कोई उल्लेख नहीं है कि प्रत्यर्थी सं. 2 को नोटिस नहीं दिया गया था।*

17. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता ने भी लिखित रूप में तर्क दायर किए हैं। लिखित तर्कों में, यह कहा गया है कि प्रत्यर्थी सं. 2 इससे पहले 2012 से नवंबर 2016 की अवधि के दौरान अफ्रीका में घाना में बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा में काम कर रहा था और वह नवंबर 2016 में गुरूगांव भारत में आया था। गुरुगाँव में संपत्ति में रहने के बाद उन्हें नवंबर 2016 में गुजरात स्थानांतरित कर दिया गया और दिनाँक 20.10.2020 पर अपनी मृत्यु तक वहीं रहे। अपने जीवनकाल के दौरान, उन्हें कभी भी न्यायालय का नोटिस नहीं दिया गया था और न ही उन्हें उनके भाइयों या पिता द्वारा वर्तमान कार्यवाही के संबंध में सूचित किया गया था और इसलिए, वे न्यायालय में उपस्थित नही हो सके । प्रत्यर्थी सं. 2 की मृत्यु के बाद जब प्रत्यर्थी सं. 2 के भाई

और पिता अंतिम संस्कार करने के लिए गुजरात आए थे तभी आवेदकों को वर्तमान मामले के लंबित होने के सम्बन्ध में ज्ञात हुआ। प्रत्यर्थी सं. 2 को कभी भी सेवा नहीं दी गई क्योंकि वह नवंबर 2016 से गुरुगांव में संपत्ति में नहीं रह रहा था और यह तथ्य याचीगण को पता था। लिखित रूप में उल्लिखित तर्क सभी प्रस्तुतियाँ आवेदनों में उल्लिखित तर्कों से परे हैं। सम्पूर्ण आवेदन में, आवेदकों ने यह नहीं कहा है कि 2016 से प्रत्यर्थी सं. 2 गुरूगाँव में संपत्ति में नहीं रह रहा था और उसे वर्तमान याचिका की सूचना नहीं दी गई थी। आवेदन में आवेदकों ने केवल यह कहा है कि प्रत्यर्थी न. 2 के विधिक प्रतिनिधि को वर्तमान मामले की लंबित होने के होने के विषय में जानकारी नहीं थी और न ही उन्हें मृतक प्रतिवादी सं. 2 द्वारा अपने जीवनकाल के दौरान सूचित किया गया इस प्रकार, यह आवेदकों का मामला नहीं है कि प्रत्यर्थी सं. 2 गुरुगाँव में नहीं रह रहा था जब न्यायालय द्वारा उक्त पते पर नोटिस जारी किया गया था और उसे सेवा नहीं दी गई थी। दलीलों के विपरीत तर्कों को वैध तर्क नहीं माना जा सकता है। आवेदन में यह दिखाने के लिए कुछ भी उल्लेख नहीं है कि प्रतिवादी 2 को न्यायालय द्वारा जारी नोटिस के साथ सेवा नहीं प्रदान की गई थी। इसलिए, मेरी सुविचारित राय है कि आवेदन की सामग्री तारीख पर प्रत्यर्थी सं.2 की गैर-उपस्थिति के लिए कोई पर्याप्त या अच्छा कारण नहीं दिखाती है। उस तारीख को जब उन्हें एकतरफा रूप से आगे बढ़ाया गया था। इसलिए, एकतरफा आदेश को अपास्त नहीं किया जा सकता है जैसा कि आवेदन में प्रार्थना की गई थी| इसके अतिरिक्त, डाबर भारत

लिमिटेड बनाम मनी कान्त दंग और अन्य (ऊपर) में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार कानून की स्थापित स्थिति को ध्यान में रखते हुए, आवेदकों को मृतक प्रत्यर्थी सं. 2 के कानूनी प्रतिनिधियों के रूप में कार्यवाही में भाग लेना होगा और अपने स्वयं के स्वतंत्र अधिकारों में नहीं। इस प्रकार, जब मूल प्रत्यर्थी ने याचिका पर कोई आपत्ति/डब्ल्यूएस दर्ज नहीं किया, तो आवेदक जो मृतक प्रतिवादी के कानूनी प्रतिनिधि हैं, उन्हें एकपक्षीय आदेश को रद्द करके लिखित बयान दर्ज करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इसलिए, आवेदन को खारिज कर दिया जाता है और तदनुसार निपटाया जाता है। हालांकि, जिन आवेदकों को पहले से ही प्रत्यर्थी सं. 2 के एलआर के रूप में याचिका में शामिल किया गया है, वे अपनी उपस्थिति के चरण से कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। तदनुसार आवेदन का निस्तारण किया जाता है।

30. उपरोक्त उद्धृत आक्षेपित आदेश के परिशीलन पर, यह देखा गया है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने सि.प्र.स. के आदेश 9 के नियम 7 के अधीन याचीगण द्वारा दायर आवेदन को अभिखंडित करते हुए यह कहा कि याचीगण ने अपने स्वयं के आवेदन में यह आरोप नहीं लगाया है कि स्वर्गीय श्री संजीव खन्ना गुड़गांव में नहीं रह रहे थे जब न्यायालय द्वारा उक्त पते पर नोटिस जारी किया गया था तो नोटिस उन्हें तामील ही नही हुआ था, इसलिए आवेदन में यह दिखाने के लिए कुछ भी उल्लेख नहीं है कि स्वर्गीय श्री. संजीव खन्ना को अधीनस्थ

न्यायालय द्वारा जारी नोटिस नहीं दिया गया था। अतः विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि याचीगण स्वर्गीय श्री संजीव खन्ना की गैर-उपस्थिति के लिए कोई पर्याप्त या संबंधित कारण प्रस्तुत करने में समर्थता नहीं दिखा पाए जब वह एकपक्षीय रूप से आगे बढे थे।

31. विद्वान विचारण न्यायालय ने आगे कानूनी स्थिति के अनुसार अभिनिर्धारित किया कि यदि किसी दिए गए मामले में, लिखित बयान दायर नहीं करने वाले प्रत्यर्थीगण में से एक की साक्ष्य के चरण पर मृत्यु हो जाती है और उसके कानूनी उत्तराधिकारियों को अभियोजित किया जाता है, तो उक्त कानूनी उत्तराधिकारियों को उस चरण पर लिखित बयान दायर करने और विचारण के चरण में प्रतिबाधित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

32. गुण-दोष के आधार पर मामले में न्यायनिर्णय लेने से पूर्व, यह न्यायालय सि.प्र.स. के आदेश 9 नियम 7 के संबंध में निर्धारित कानून पर पुनर्विचार करेगा।

33. सि.प्र.स. के आदेश 9 नियम 7 के प्रावधानों के प्रासंगिक हिस्से को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

> *"7. प्रक्रिया जहाँ प्रत्यर्थी स्थगित सुनवाई के दिन उपस्थित होता है और पिछली गैर-उपस्थिति के लिए उचित कारण देता|*
>
> *जहां न्यायालय ने वाद की सुनवाई को एकपक्षीय रूप से स्थगित कर दिया है और प्रत्यर्थी, ऐसी सुनवाई पर या उससे पूर्व,*

उपस्थित होता है और अपनी पिछली गैर-उपस्थिति के लिए उचित कारण देता है, वह, ऐसी शर्तों पर, जो न्यायालय लागत या अन्यथा के बारे में निर्देश देता है, मुकदमे के जवाब में सुना जा सकता है जैसे कि वह अपनी उपस्थिति के लिए निर्धारित दिन पर पेश हुआ था

34. न्यायालयों ने कई निर्णयों के संबंध में यह अभिनिर्धारित किया है कि *एकपक्षीय* होने का अर्थ केवल दूसरे पक्ष की अनुपस्थिति में कार्यवाही करना है। जहाँ कोई वादी पेश होता है और कोई प्रत्यर्थी उस पर सम्मन तामील होने के बावजूद उपस्थित नहीं होता है, न्यायालय मुकदमे की *एकपक्षीय* सुनवाई कर सकता है और प्रत्यर्थी के खिलाफ आदेश पारित कर सकता है। इस प्रकार पारित आदेश किसी भी अन्य आदेश की तरह कानूनी, वैध, प्रभावी और प्रवर्तनीय है।

35. हालांकि, एक एकपक्षीय आदेश केवल एक उचित कारण निर्धारित करने पर ही अपास्त किया जा सकता है। विधायिकाओं ने सि.प्र.स. के आदेश 11 नियम 7 में विशेष रूप से "उचित कारण" शब्द का उपयोग किया है, इसलिए न्यायालय को यह सुनिश्चित करने की स्वतंत्रता दी गई है कि अभिलेखों पर कम मात्रा में सबूतों/साक्ष्यों के साथ भी, न्यायालय एकपक्षीय पक्ष को आगे बढ़ने की अनुमति दे सकता है।

36. माननीय उच्चतम न्यायालय ने ***जी.पी. श्रीवास्तव बनाम आर.के. रायजादा और अन्य ,(2000) 3 एस.सी.सी. 54*** में अभिनिर्धारित किया है कि न्यायालयों के पास एक एकपक्षीय आदेश को अपास्त करने का व्यापक विवेकाधिकार है जब वे स्वयं को संतुष्ट करने पर कि यहाँ "पर्याप्त कारण" है। उपरोक्त उद्धृत निर्णय के प्रासंगिक पैराग्राफ इस प्रकार हैं:

> *"7.....गैर-उपस्थिति के लिए "पर्याप्त कारण" उस तिथि को संदर्भित करता है जिस पर अनुपस्थिति को आगे बढ़ने का एकपक्षीय आधार बनाया गया और समय से पूर्व अन्य परिस्थितियों पर भरोसा करने के लिए विस्तार नहीं जा सकता है। यदि प्रत्यर्थी की सुनवाई के लिए निर्धारित तिथि पर गैर-उपस्थिति के लिए "पर्याप्त कारण" बनाया जाता है, जब उसके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही शुरू की गई थी, तो उसकी पूर्व उपेक्षा के लिए दंडित नहीं किया जा सकता, जिसकी अनदेखी की गई थी और इस तरह पहले माफ कर दिया गया था। ऐसे मामले में जहां प्रत्यर्थी तुरंत और निर्दिष्ट वैधानिक समय के भीतर न्यायालय का दरवाजा खटखटाता है, विवेकाधिकार का उपयोग आम तौर पर उसके पक्ष में किया जाता है, बशर्ते कि अनुपस्थिति असद्भावपूर्वक या जानबूझकर न की गई हो । मामले में एक पक्ष की अनुपस्थिति में दूसरे पक्ष को पर्याप्त लागत से हरजाना दिया जा सकता है और वाद गुण-दोष के आधार पर निर्णित होता है।*

37. न्यायालयों ने लगातार यह अधिकथित किया है कि किसी मुकदमे को न्यायालय द्वारा एकतरफा से चलाया जाएगा या नहीं, यह तय करने के लिए कारक यह है कि क्या वह पक्ष जिसके खिलाफ मुकदमे को एकतरफा आदेश दिया गया है, उसके गैर-उपस्थिति के लिए उचित या पर्याप्त कारण निर्धारित करने में समर्थ है। यदि न्यायालय ऐसे पक्षकार के उक्त तर्क से संतुष्ट होता है, तो वह उस आदेश को अपास्त कर सकता है जिसके अनुसार न्यायालय ऐसे पक्षकार के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही करता है।

38. अब इस तथ्य पर ध्यान देते हुए कि क्या स्वर्गीय श्री संजीव खन्ना, के कानूनी उत्तराधिकारी हैं। जिनके खिलाफ न्यायालय ने एकपक्षीय कार्यवाही की है, इस स्तर पर कार्यवाही में भाग लेने के अधिकार का दावा कर सकते हैं।

39. यह कानून की एक निर्धारित स्थिति है कि प्रत्यर्थी के कानूनी उत्तराधिकारियों के पास अपना कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है, लेकिन वे केवल उन अधिकारों के हकदार हैं जो प्रत्यर्थी के पास थे और इसके अलावा कुछ भी नहीं। इसलिए, यदि प्रत्यर्थी ने लिखित बयान दायर नहीं किया था, तो उसके कानूनी उत्तराधिकारी अब लिखित बयान दायर करने के अधिकार का दावा नहीं कर सकते हैं।

40. ***डाबर इंडिया लिमिटेड बनाम मणि कांत डांग और अन्य 2022 एससीसी ऑन लाइन 2579*** में, इस न्यायालय की समन्वय न्यायपीठ ने निर्णय दिया है कि एक प्रत्यर्थी के कानूनी प्रतिनिधि केवल मृतक प्रत्यर्थी के कानूनी प्रतिनिधियों के रूप में

सामने आते हैं, न कि अपने स्वयं के स्वतंत्र अधिकार में। प्रासंगिक उद्धरण को निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया जा रहा हैः

> *"14. सर्वोच्च सम्मान के साथ, मैं गोपालदास (ऊपर) में बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण को स्वीकार करने में असमर्थ हूं। मेरे विचार में, एक* प्रत्यर्थी *के कानूनी प्रतिनिधि केवल मृतक* प्रत्यर्थी *के कानूनी प्रतिनिधियों के रूप में सामने आते हैं, न कि अपने स्वयं के स्वतंत्र अधिकार में। वे अपने मामले को मूल* प्रत्यर्थी *से ऊपर नहीं रख सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि मूल* प्रत्यर्थी *ने लिखित बयान दायर नहीं करने का विकल्प चुना था, तो उपरोक्त* प्रत्यर्थी *के कानूनी प्रतिनिधियों को यह कहते हुए नहीं सुना जा सकता है कि वे लिखित बयान दायर करना चाहते हैं। जिस बात की सराहना की जानी चाहिए वह यह है कि कानूनी उत्तराधिकारियों को वाद में एक स्वतंत्र पक्ष के रूप में कोई स्वतंत्र अधिकार नहीं है। उन्होंने केवल मूल* प्रत्यर्थी *के स्थान पर कदम रखा है। इस मुकदमा, वे उस प्रक्रम,पर वाद में प्रवेश करते हैं जहां वाद है और समय को पूर्वरत स्तिथि में पुनः निर्धारित नहीं कर सकते हैं।*
>
> *15. वास्तव में, विग्रो फ्रोजन फूड्स (उपरोक्त) मामले में इस न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने यह विचार रखा है कि कानूनी प्रतिनिधियों को एक नया मामला स्थापित करने या एक नया लिखित बयान दायर करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है यदि मूल प्रत्यर्थी पूर्व ही एक लिखित बयान दायर कर चुके हैं।*

यह गोपालदास (उपरोक्त) में लिए गए दृष्टिकोण के विपरीत है कि कानूनी प्रतिनिधियों के लिए मूल प्रत्यर्थी द्वारा दायर लिखित बयान के अलावा एक नया लिखित बयान दायर करने की अनुमति है।

16. जबकि बॉम्बे उच्च न्यायालय ने मंजू पार्थी (उपरोक्त) को इस आधार पर अलग किया है कि उक्त मामले में प्रत्यर्थी के खिलाफ एक एकपक्षीय डिक्री पहले ही पारित की जा चुकी थी। मेरे विचार में, यह तथ्य कि एक डिक्री पहले ही पारित हो चुकी है जो मंजू पार्थी (उपरोक्त) के इस कथन में कोई ठोस अंतर नहीं लाएगा कि केवल इसलिए कि एक व्यक्ति को मृतक प्रत्यर्थी के कानूनी प्रतिनिधि के रूप में शामिल किया गया है जो समय को पूर्वरत रखने और एक पृथक लिखित बयान दायर करने का अधिकार नहीं है। यदि, किसी मामले में, प्रत्यर्थीगण में से एक, जिसने लिखित बयान दायर नहीं किया था उसकी साक्ष्य के स्तर पर मृत्यु हो जाती है और उसके कानूनी उत्तराधिकारियों को अभियोजित किया जाता है, तो उक्त कानूनी उत्तराधिकारियों को उस स्तर पर लिखित बयान दायर करने और वाद को अभिवचन की स्थिति में वापस लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। अन्यथा धारण वाद निर्धारण में अर्थहीन परिणाम और अंतहीन देरी होगी। इसलिए, मैं मंजू पार्थी (ऊपर), रामगोपाल (ऊपर), बाबूलाल एन शुक्ला (ऊपर) और किझियाकलाथिल पुथान (ऊपर) में व्यक्त किए गए विचार से सम्मानपूर्वक सहमत हूं।"

41. वर्तमान मामले में, स्वर्गीय श्री. संजीव खन्ना (प्रत्यर्थी सं. 2 प्रोबेट मामले में) जीवित थे जब दिनाँक 13 सितंबर, 2018 को एकपक्षीय आदेश पारित किया गया था और दिनाँक 23 अक्टूबर, 2020 को उनका निधन हो गया था। वर्तमान याचिका की सामग्री के पर अवलोकन पर, यह देखा गया है कि उन्होंने अपने जीवनकाल के दौरान दिनाँक 3 सितंबर, 2018 के एकपक्षीय आदेश को अपास्थ करने के लिए कोई लिखित बयान या कोई आवेदन भी दायर नहीं किया था।

27. याचीगण का यह तर्क कि नीचे दिया गया विद्वान न्यायालय इस तथ्य पर विचार करने में विफल रहा कि कोई नोटिस या सम्मन तामील नहीं किया गया था, जो की सच नहीं है, क्योंकि दिनाँक 13 सितंबर, 2018 के आदेश के अनुसार, विद्वान विचारण न्यायालय ने माना है कि स्वर्गीय श्री. संजीव खन्ना को विधिवत सम्मन तामील किया गया था। यह केवल तब था जब वह सम्मन प्राप्त होने के आधार के बाद भी वह पेश नहीं हुआ, जिसके बाद ही अधीनस्थ न्यायालय ने उसके खिलाफ एकतरफा कार्रवाई की।

28. इस न्यायालय की राय है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने उचित प्रकार से अभिनिर्धारित किया कि याचीगण अपने अभिवचनों के विपरीत अपने लिखित दलीलों में नया आधार नहीं उठा सकते हैं। याची ने अपने लिखित तर्क में एक नया आधार उठाया है कि स्वर्गीय श्री संजीव खन्ना के जीवनकाल के दौरान

सम्मन की तामील कभी नहीं की गई थी। हालाँकि, याचीगण ने अपने आवेदन में ऐसा नहीं कहा है।

29. तदनुसार, विद्वान् विचारण न्यायालय ने उचित रूप से अभिनिर्धारित किया है कि याचीगण के आवेदन को अस्वीकार कर दिया जाएगा क्योंकि याचीगण द्वारा एकपक्षीय आदेश को अपास्त करने के संबंध में कोई "उचित कारण" नहीं दिखाया गया है।

30. इस न्यायालय का विचार है कि लिखित तर्क की तुलना में मूल अभिवचनों में इस तरह के गंभीर मतभेद तब तक नहीं लिए जा सकते जब तक कि अभिवचनों में संशोधन के माध्यम से नए अभिवचनों को शामिल नहीं किया जाता है। अतः याचीगण स्वर्गीय श्री संजीव खन्ना के कानूनी उत्तराधिकारी होने के कारण हैं। उन्हें संजीव खन्ना से बेहतर स्थिति में नहीं रखा जा सकता है, इसलिए याचीगण अपना लिखित बयान दाखिल करने के हकदार नहीं हैं।

31. तत्काल याचिका के तथ्यों के संबंध में, यह साबित करने के लिए कोई मामला नहीं बनाया गया है कि आक्षेपित आदेश पारित करने में विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा प्रयोग की गई अधिकारिता की त्रुटि थी। इसलिए, यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि आक्षेपित आदेशों में कोई दुर्बलता नहीं है और याचीगण सि.प्र.स. की धारा 115 के अधीन आक्षेपित आदेशों के संशोधन की राहत

देने के लिए एक मामला बनाने में असमर्थ रहे हैं अब से, विद्वान् विचारण न्यायालय ने कानून के अनुसार अपने अधिकारिता का प्रयोग किया है।

32. तथ्यों और कानून की उपरोक्त चर्चाओं के आलोक में, पीसी सं.15/2017 वाले प्रोबेट मामले में विद्वान अप.जिला.न्याय.-02, दक्षिण, साकेत न्यायालय, दिल्ली द्वारा पारित दिनाँक 13 सितंबर 2018 और दिनाँक 27 अप्रैल 2023 के आक्षेपित आदेशो को बरकरार रखा गया है।

33. तदनुसार, तत्काल याचिका लंबित आवेदनों, यदि कोई हो, के साथ खारिज कर दी जाती है।

34. आदेश को तत्काल वेबसाइट पर अपलोड किया जाए।

चंद्र धारी सिंह, न्या.

दिसंबर 19, 2023

जीएस/डीबी/आरवाईपी

शुद्धिपत्र, यदि कोई हो, को देखने के लिए यहाँ क्लिक करें

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*